जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 20.09.2025

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास 12000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 20.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 04 अभियुक्तों को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 03-03 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 सीसी-25/2002 धारा 323/325/504भा0द0वि0 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.जवाहिर पुत्र टीमल केवट, 02.चन्द्रिका पुत्र टीमल केवट, 03.खुशियाल पुत्र राजाराम, 04.रामफेर उर्फ रामलौट पुत्र लहुरी निवासीगण औरही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 26.08.2002 को वादिनी श्रीमती बिन्दू पत्नी श्रीप्रसाद निवासी औरही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर के साथ मारपीट की गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक का कारावास व धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 325 भा0द0वि0 के अपराध में 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 20.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 290/2002 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र गुड्डन पाण्डेय निवासी घूरापाली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 24.10.2002 को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

दबिश के दौरान 26 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 02 वारण्टी नाम पता 01. विशाल गुप्ता उर्फ पेलू पुत्र जगनारायन निवासी कसैला 02. दीपक पुत्र अर्जुन विश्वकर्मा निवासी कैलाश नगर पुराना आरटीओ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 बलराम यादव।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 01.तबारक हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी लोहरौली बाजार, 02. गब्बर पुत्र मुनीर निवासी साफियाबाद, 03.गगन प्रजापति पुत्र हरिलाल निवासी दुल्हीपार 04.दयाराम पुत्र स्व0 तमई निवासी दुल्हीपार थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, उ0नि0 श्री सचिन्द्र नाथ राय, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, हे0का0 जयचन्द्र कन्नौजिया, हे0का0 अरुण प्रजापति, का0 विनोद यादव, का0 भीम कुमार, का0 रामप्रवेश पासवान, का0 भानुप्रताप सरोज, का0 अनिल यादव, का0 बलराम यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 08 वारण्टी नाम पता 01. रामनरेश पुत्र वीरबल ग्राम रुपिन, 02. अशोक कुमार पुर नन्दलाल ग्राम दुधरा उर्फ चकिया, 03. दिलीप पुत्र राजाराम ग्राम पड़रिया, 04. राकेश पुत्र गोपाल प्यारे , 05. सतीश पुत्र गोपाल प्यारे, 06. परशुराम पुत्र फेकू निवासीगण बहराडाडी, 07. रामबेलास पुत्र भगाल ग्राम खड़गपुर, 08. जंगबहादुर पुत्र गनेश शर्मा साकिन मुठही खुर्द थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, हे0का0 बदरे आलम, का0 अभिषेक यादव , का0 अनिल प्रसाद व का0 मुकेश कुमार, का0 विनीत कुमार वर्मा, का0 सलमान अंसारी।

थाना महुली पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 01. पंचराम पुत्र दरसू निवासी कालीजगदीशपुर, 02. सोनू गौड़ पुत्र जनार्दन प्रसाद निवासी कुचडेहरी थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर, हालमुकाम सेण्ट थामस स्कूल के पास नेदुला चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, 03. अशोक कुमार पुत्र रामदास निवासी शनिचरा, 04. सुनील कुमार पुत्र रामचन्दर निवासी महोबरा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, व0उ0नि0 श्री परवेज अहमद, उ0नि0 श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय, उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, हे0का0 श्रीकान्त यादव, का0 विकास गौड़, का0 विजय गौतम, का0 अंकित पटेल।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता पुट्टी पुत्र सरयू निवासी सरफरा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 01. संदीप यादव पुत्र सन्तोष यादव निवासी तिलाठी, 02. शम्भू केवट पुत्र रामदुलारे निवासी चिरैयाडाड़, 03.अकबर पुत्र नवी बंजारा निवासी दुर्गजोत, 04.मकालू पुत्र स्वामीनाथ विश्वकर्मा निवासी बढ़या बाबू थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्रीराजकुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, उ0नि0 श्री सुरेश यादव, हे0का0 मनोज यादव, का0 रामप्रवेश यादव, का0 रामाशीष चौहान, का0 अंगद यादव, का0 संतोष पाल।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 01. सुक्खू पुत्र दशरथ, 02. लक्ष्मण उर्फ रोशन पुत्र ठाकुर निवासी जखनिया, 03. विशम्भर पुत्र शिवमूरत निवासी कवर कवरी थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- थानाध्यक्ष धर्मसिहंवा श्री अभिमन्यु सिंह, का0 अमित कुमार पटेल, का0 ओमवीर सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 164 वाहनों से 1,88,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 20.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 164 वाहनों से 1,88,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जनपद में लुक छिपकर कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जिला बदर आदेश के बाद भी लुक छिपकर रह रहे अभियुक्त मुस्तफा पुत्र मो0 हुसैन उर्फ टेनी निवासी सिसवा दाखिली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 20.09.2025 को सिसवा दाखिली के पास से मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों- निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 327/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद संतकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 20.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री वीरबहादुर यादव, हे0का0 सुधीर सिंह, का0 श्रवण कुमार यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 300 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 20.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जेएम संतकबीरनगर*** द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 300 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 26.12.2000 को ग्राम साफियाबाद में 01 राशि गोवंशीय पशु के 02 कुंतल मांस व काटने के उपकरण बरामद करते हुए मु0अ0सं0 263/2000 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गब्बर पुत्र मुनीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 70 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 20.09.2025 को ***माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर* के मा0 सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा** द्वारा हत्या के 02 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास अवधि व 70 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 31.05.2020 को वादिनी साबिरा खातून पत्नी सरफराज खाना निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दिया गया कि उनकी 03 पुत्रियों सना, सबा व शमा को उनके पति सरफराज खान पुत्र सोहराब निवासी डिहवा ने अपने मित्र नीरज मौर्या पुत्र महेन्द्र निवासी बडारी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के सहयोग से बिडहरघाट पुल से नदी में फेंक दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 353/2020 धारा 302/317/201/120बी भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 201 भा0द0वि0 के अपराध में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के साधारण कारावास का दण्ड, धारा 120 बी भा0द0वि0 के अपराध में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।